FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0031 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 06/09/2026 17:41 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Sunday **Date from (दिनांक से):** 06/09/2026 **Date To (दिनांक तक):** 06/09/2026

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 12:50 hrs **Time To (समय तक):** 12:50 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/09/2026 **Time (समय):** 16:53 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 06/09/2026 16:53 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-WEST, 160 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): डबवाली,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** भूलविन्द्र सिंह

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** सुखदेव सिह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1986 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**गोनियाना रोड गली नम्बर 25, वार्ड नम्बर 19, श्री मुक्तसर साहिब पंजाब, CITY MUKTSAR, SHRI MUKTSAR SAHIB, PUNJAB, INDIA**
2	**Permanent Address**	**गोनियाना रोड गली नम्बर 25, वार्ड नम्बर 19, श्री मुक्तसर साहिब पंजाब, CITY MUKTSAR, SHRI MUKTSAR SAHIB, PUNJAB, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9592516393

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	जगजीत SHO			1. डबवाली,CITY MANDI DABWALI,DABWALI,HARYANA ,INDIA
2	राकेश कुमार हवलदार			1. पुलिस चौकी गोल बाजार डबवाली,CITY MANDI DABWALI,DABWALI,HARYANA ,INDIA
3	राजवीर सिंह मुंशी			1. पुलिस चौकी गोल बाजार डबवाली,CITY MANDI DABWALI,DABWALI,HARYANA ,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,
माननीय इंस्पेक्टर साहिब,
विजिलेंस सिरसा।
श्रीमान जी,
मैं भूलविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह वासी गोनियाणा रोड, गली नंबर 25, वार्ड नंबर 19, श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला हूँ । मैं मजदूरी का काम करता हूँ तथा इसके साथ समाज सेवा का काम करता आ रहा हूँ। बब्बलू पुत्र संतपाल सिंह वासी गोनियाणा चौक, श्री मुक्तसर साहिब, जो कि मेरा दोस्त है। दिनांक 23.08.2026 को मेरा दोस्त बब्बलू व उसकी दादी राजरानी मेरे पास मेरे घर पर आये थे उस समय मेरे पास मेरा दोस्त शमशेर सिह पुत्र श्रवण सिह भी बैठा था । बब्बलू ने हमारे को बतलाया कि मेरे खिलाफ थाना शहर डबवाली मे मुकदमा न0 266 दिनांक 21-08-2026 धारा Ndps Act दर्ज है जिस समबन्ध मे गोल बाजार चौकी डबवाली से पुलिस मेरे को पकडने के लिए मेरे घर पर आई थी जिसमे एक राकेश कुमार नाम का हवलदार था उसने हमे कहा कि मेरा मोबाइल नंबर 88140-11699 ये है कि मेरे साथ बब्बलू के इस दर्ज मुकदमे बाबत बात कर लेना तो यह मामला हल हो जाएगा । मैंने दिनांक 27/08/2026 को राकेश कुमार हवलदार के मोबाईल नम्बर 88140-11699 पर मैने अपने मोबाइल नंबर 95925-16390 से फोन किया जिस पर इस मुकदमे बाबत मेरी राकेश कुमार हवलदार से बात हो गई । जिस पर मुझे रविवार का समय दिया तथा पुलिस चौकी गोल बाजार, डबवाली में आने को कहा। जिस पर मै व मेरा दोस्त शमशेर सिह दिनांक 30/08/2026 को राकेश कुमार हवलदार से बातचीत करके पुलिस चौकी गोल बाजार, डबवाली आ गऐ। पुलिस चौकी गोल बाजार डबवाली मे हमें राकेश कुमार हलवदार ने जगजीत सिंह थानेदार के साथ बात करवायी और उसने कहा कि जगजीत सिंह जी हमारे एस.एच.ओ. साहिब हैं और जगजीत सिंह थानेदार ने हमें एक कमरे में बिठा लिया । हमने इस मामले में बब्बलू के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज है या नहीं, इस बारे में पूछा तो थानेदार जगजीत सिंह ने हमें कहा कि बब्बलू एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकदमे में नामजद है, परंतु इस मुकदमे के मुख्य आरोपी को पहले ही हम गिरफ्तार कर चुके हैं। बब्बलू को सिर्फ इस मुकदमे में पूछताछ के लिए लेकर आना है। यदि बब्बलू चौकी में पेश नहीं हुआ तो उसे और उसके परिवार को दिक्कत आ सकती है। यदि बब्बलू और उसके घरवालों को बचाना है तो आपको इस बाबत हमें खर्चा-पानी देना पड़ेगा। जब मैंने जगजीत सिंह से पूछा कि कितना खर्चा देना पड़ेगा तो उसने कहा कि मैं इस मुकदमा के (आई.ओ.) सत्य नारायण के साथ बात करके आता हूं और इस मुकदमे में बब्बलू की रियायत करवा दूंगा और बाहर जाकर कुछ देर मे वापिस आ गया और हमे कहा कि इस काम के बदले आपको हमें 1,50,000/- रुपये देने होंगे। लेकिन हमने कहा कि बब्बलू और उसका परिवार गरीब परिवार है, जिस कारण इसके पास इतनी रकम का इंतजाम नहीं हो पाएगा। हमारे बार-बार कहने पर जगजीत सिंह थानेदार ने कहा कि 1,00,000/- रुपये तो देने ही पड़ेंगे, इससे कम नहीं होगा । कुछ रकम आज ही देनी पड़ेगी । मैंने पूछा कि आज कितनी रकम देनी पड़ेगी तो उसने कहा कि मैं आई.ओ. से पूछकर आता हूं। यह कहकर जगजीत सिंह थानेदार कमरे से बाहर चला गया। वह कुछ देर बाद वापस आया और कहने लगा कि मेरी आई.ओ. से बात हो गई है। अब मौके पर आपको एक लाख में से 20,000 रुपये आज ही देने पड़ेंगे। जब आप बब्बलू को पेश करने के लिए लेकर आते हो उस समय बाकी रकम हमें दे देंना । इस पर मैने बाहर आकर राकेश हवलदार को फोन किया तो राकेश कुमार हवलदार ने हमें दोबारा कमरे में बुला लिया। राकेश कुमार हवलदार और थानेदार जगजीत सिंह दोनों उस कमरे में मौजूद थे। जगजीत सिंह ने कहा कि आई.ओ. को कहकर बब्बलू की पूरी रियायत करवा देंगे, जिस पर आप हमे अभी 20,000 रुपये दे दो ।जब में जगजीत सिंह थानेदार को 20000 देने लगा तो जगजीत सिंह थानेदार ने कहा कि आप यह 20,000 रुपये राकेश कुमार हवलदार को पकड़ा दें । हमने राकेश कुमार हवलदार को जगजीत सिह थानेदार के कहे अनुसार 20,000 रुपये दे दिए।दिनांक

02/09/2026 को हम बब्बलू को पुलिस चौकी गोल बाजार, डबवाली में लेकर गए, जहां हमें जगजीत सिंह थानेदार, राकेश कुमार हलवदार और राजवीर मुंशी मिले। जगजीत सिंह ने कहा कि आप मुझे 80000/- हजार रुपये दे दो बब्बलू वाला काम हो जाएगा। हमने जगजीत सिंह को 80000 हजार रुपये दे दिए। उसके बाद आई.ओ. सत्य नारायण भी वहां आ गया, जिसने कहा कि बब्बलू को आज रात चौकी में रखेंगे। उस के बाद जगजीत सिंह थानेदार हमें दूसरे कमरे में ले गया। मेरे साथ शमशेर सिंह और बबलू भी था । उसने हमें कहा कि बब्बलू को कूट-मार से बचाना है तो हमें 50000 हजार रुपये और देना पड़ेगा। हमने कहा की आपको हम 50000/- हजार रूपये और नहीं दे सकते हम आपको 25000 हजार रुपये दे देगे । उस समय मेरे पास दस हजार रुपये थे, जो में जगजीत सिंह थानेदार को देने लगा तो उसने कहा कि यह दस हजार रुपये राजवीर मुंशी को दे दो और बाकी रकम पंद्रह हजार रुपये कल दे देना, जिस पर मैंने यह रकम दस हजार रुपये राजवीर मुंशी को दे दी, जो चौकी में ही बैठा था। उसके बाद मैं और शमशेर सिंह बब्बलू को पुलिस चौकी गोल बाजार डबवाली में जगजीत सिह थानेदार के पास छोड़कर चले गए ।उसके बाद दिनांक 03/09/2026 को बब्बलू की दादी राज रानी मै और मेरा पडोसी चढ़त सिंह पुलिस चौकी डबवाली में बब्बलू को मिलने के लिए गए। हमें वहा पता लगा कि बब्बलू को एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकदमा मे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस पर हमने आई.ओ. सत्यनारायण और जगजीत सिंह थानेदार को कहा कि तुमने हमारे से एक लाख रुपये लिए हैं और बब्बलु की कोई रियायत भी नहीं की फिर जगजीत सिंह थानेदार ने मुझे कहा कि आप जो पंद्रह हजार रुपये जो बाकी है वह भी दे दो, जिस पर हमने कहा कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है तो थानेदार जगजीत सिह ने कहा कि बब्बलू दो दिन के पुलिस रिमांड पर है अगर आप ने 15000 रुपये नहीं दिए तो । हम इसके साथ मार-कुटाई करेगे और उस पर चिट्टे की रिकवरी भी डालेंगे । जिस पर बब्बलू की दादी ने मारपीट के डर से मुझे कहा कि इनको पंद्रह हजार रुपये और दे दो। जिस पर मैंने जगजीत सिह थानेदार को कहा कि मेरे पास नगदी रकम नहीं है तो जगजीत सिह थानेदार ने कहा कि पंद्रह हजार रुपये चाय वाले को गूगल पे कर दो।उसके बाद चाय वाले को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तुम इनसे पंद्रह हजार रुपये गूगल पे करवा लो हमने ट्राई के तौर पे उसको 1 रुपया पे किया तो उस नम्बर की आई.डी. अजय कुमार के नाम आई । बाद मे जगजीत सिंह थानेदार ने हमे कहा कि आप Aayush मोबाइल वाले को गूगल पे करके इस चाय वाले को पंद्रह हजार रुपये नगद दे देना। इसके बाद मैंने जगजीत सिह थानेदार के कहे अनुसार आयुष मोबाइल शॉप पर स्कैनर से 15300/- रूपये पे किया जिसके बदले दुकानदार ने मुझे 15000/- रूपये दिया वह 15000/- रूपये मैने जगजीत सिंह थानेदार के कहने के अनुसार चाय वाले को दे दिए । उसके बाद हम जब चौकी से जाने लगे तो जगजीत सिंह थानेदार हमारे पास आया तो हमें कहने लगा कि दिनांक 05/09/2026 को बब्बलू को कोर्ट में पेश करवाना है, उस वक्त बब्बलू को मिल लेना। दिनांक 05/09/2026 को मैं, शमशेर सिंह और बब्बलू की दादी चौकी मे गये वहा पर हम बब्बलू से मिलकर जब हम पुलिस चौकी से बाहर आने लगे तो जगजीत सिंह थानेदार हमारे पास आया। और कहने लगा कि मैंने बब्बलू की मार-कुटाई नहीं होने दी और जो आपने एक लाख पच्चीस हजार रुपये दिए थे, उसमें हमने रियायत में बब्बलू पर 20 हजार रुपये की रिकवरी डाली है। इसलिए आप मुझे 20 हजार रुपये और दे दो । इस मुकदमे में हमें आपके मौहल्ले का देबी भी चाहिए है अगर देबी को भी मार-कुटाई से बचाना है तो उसका अलग खर्चा लगेगा। मैंने उससे पूछा कि देबी की मार-कुटाई से बचाने का कितना खर्चा लगेगा, तो कहने लगा कि देबी को बचाने का 15 हजार रुपये लगेगा । इस पर मैंने जगजीत सिंह थानेदार से कहा कि हम बात करके आते हैं। इसके बाद मैं और बब्बलू की दादी राज रानी जगजीत सिंह थानेदार के पास गए उस समय राकेश कुमार हवलदार भी वहीं था । जगजीत सिंह थानेदार ने राज रानी को कहा कि हमने आपका काम कर दिया है ।और आप भी हमारा काम कर देना इस पर राज रानी ने कहा कि कितना और देना पड़ेगा तो बता दो। फिर जगजीत सिंह थानेदार ने कहा कि मैंने इस बारे में भूलविन्द्र सिहं को बता दिया है । इसके बाद राज रानी को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझे जगजीत सिह थानेदार ने कहा कि औदे (देबी) तो 15000/- रुपये और ऐदे (बब्बलु) के 10000/- रुपये और कर दो। उसके बाद मैंने कहा कि हम 25 हजार रुपये नहीं दे सकते । हम कुल 20 हजार रुपये और दे देंगे। इस पर उन्होंने सहमति जताते हुए कहा, "चलो ठीक है जो मैने दिनांक 03-09-2026 व 05-09-2026 को रिश्वत राशि के समबन्ध मे हुई बातचीत की रिकोर्डिग मैने अपनी रिकोर्डिग डिवाईस मे रिकॉर्डिंग कर ली थी जो मै आपको बाद मे पेश कर दुगाँ । मै जगजीत सिह थानेदार को और 20000/- रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हुँ। इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

Sd/- Bhulwinder Singh

प्रार्थी

भूलविन्द्र सिह पुत्र सुखदेव सिह वासी गोनियाना रोड गली नम्बर 25
वार्ड नम्बर 19 श्री मुक्तसर साहिब पंजाब मो0नं0 95925-16390
दिनांक 06-09-2026

कार्यवाही पुलिस - आज मन निरीक्षक के मोबाईल न0 9467001011 पर मोबाईल न0 9592516390 से फोन आया की मैं भूलविन्द्र सिहं श्री मुक्तसर साहिब पंजाब से बोल रहा हूँ । मेरे से पुलिस कर्मचारी रिश्वत की मांग कर रहा है मैं रैड करवाना चाहता हूँ । कृप्या आप डबवाली मे आ जाओ मैं आपको वही मिलूगां और आपको वहा पहुचने पर पुरी बात बता दुगाँ ।उक्त हालात बारे मन निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक महोदय SVACB हिसार को बतलाए गये । जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत कार्यवाही करने बारे आदेश दिये गये तथा पुलिस अधीक्षक महोदय ने उपायुक्त सिरसा द्वारा डियुटी मैजिस्ट्रेट की सुचि में से श्री विजय कुमार कार्यकारी अभियन्ता पी.एच.ई. विभाग डबवाली को बतौर डियुटी मैजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया ।उसके उपरान्त मन निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल न. 9467001011 से राजपत्रित अधिकारी श्री विजय कुमार कार्यकारी अभियन्ता पी.एच.ई. विभाग डबवाली के मो. न. 87300-00001पर काल करके अपने कार्यालय के एक अन्य कर्मचारी को साथ लेकर नजदीक स्टेडियम डबवाली मे मिलने बारे आग्रह किया । मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारी निरीक्षक सुरेश कुमार न0 625/SRS, SI बलवीर सिह न0 53/SRS, ASI सतपाल सिह न0 183/FTB, ASI राजेश कुमार न0 103/FTB, EASI साहिब राम न0 1057/HSR, L/CT खुशप्रीत कौर न0 1018/SRS, HGH सन्दीप कुमार न0 4480, HGH मन्जीत सिह न0 2076 मय गाडी सरकारी न0 HR 03GV-4393 चालक E/SI सुखविन्द्र सिह न0 793/FTB मय गाडी प्राईवेट मय तफतीश बैग मय लेपटोप मय प्रिन्टर के रवाना डबवाली का होता हुं । मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारी मय गाडी सरकारी मय प्राईवेट के खेल स्टेडियम सिरसा रोड डबवाली के नजदीक पहुचा हुं । जो कुछ समय बाद शिकायतकर्ता भूलविन्द्र सिह पुत्र सुखदेव सिह वासी गोनियाना रोड गली नम्बर 25 वार्ड नम्बर 19 श्री मुक्तसर साहिब पंजाबन मन निरीक्षक को नजदीक खेल स्टेडियम सिरसा रोड डबवाली पर मुलाकी हुआ और मन निरीक्षक को एक हस्तलिखित दरखास्त पेश की है।और कुछ समय पश्चात राजपत्रित अधिकारी श्री विजय कुमार कार्यकारी अभियन्ता पी.एच.ई. विभाग डबवाली व साथी कर्मचारी श्री अमित कुमार सब डिविजनल क्लर्क पब्लिक हैल्थ डिवीजन डबवाली नजदीक खेल स्टेडियम सिरसा रोड डबवाली पर हाजिर आये जो शिकायतकर्ता के द्वारा पेश की गई दरखास्त के हालात से अवगत होकर मैनें उसका परिचय राजपत्रित अधिकारी श्री विजय कुमार कार्यकारी अभियन्ता पी.एच.ई. विभाग डबवालीव साथ कर्मचारी श्री अमित कुमार सब डिविजनल क्लर्क पब्लिक हैल्थ डिविजन डबवाली से करवाया और शिकायतकर्ता द्वारा हालात बलताये जाकर अपने मोबाईल फोन से रिश्वत राशी मांगने बारे रिकार्डिंग मन निरीक्षक व राजपत्रित अधिकारी श्री विजय कुमार उक्त को सुनाई । शिकायतकर्ता द्वारा मन निरीक्षक को पेश की गई हस्तलिखित दरखास्त व रिश्वत राशी मांगने बारे आडियो रिकार्डिंग के मजबुन से जुर्म जेर धारा 308 (2) BNS 7,7A पी.सी. एक्ट का होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराए कायमी मुकदमा बदस्तE/SI सुखविन्द्र सिह न0 793/FTB के हाथ राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना हिसार मण्डल हिसार भेजी जा रही है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर से सुचित करें। मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व सम्बंधित अफसरान बाला को भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय राजपत्रित अधिकारी वा छाया गवाह मय रैडिग पार्टी कर्मचारी के रैड की आगामी कार्यवाही में व्यस्त होता हूं ।

अजः- खेल स्टेडियम सिरसा रोड डबवाली
Sd/- सत्यवान
निरीक्षक (सत्यवान)
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उपकेन्द्र सिरसा
दिंनाक 06-09-2026
AT 12.50PM

अज थानाः- हस्ब आमद तहरीर कायमी मुकदमा नं. 31 दिनांक 06.09.2026 धारा 308 (2) BNS 7,7A पी.सी. एक्ट थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,हिसार के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आईन्दा E/SI सुखविन्द्र सिह न0 793/FTB के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है । प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पैशल रिपोर्ट बजरिया EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब सिरसा व पुलिस अधीक्षक डबवाली की सेवा में भेजी जा रही हैं ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SATYAWAN **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 377H **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rajbir Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 265h

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male					**Is pox pitted:** Yes
2	Transgender					**Is pox pitted:** Yes
3	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)